

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

(कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र)

(राज्य सरकार से अनुदानित लाइसेंस प्राप्त टेकेदार हारा भरा जायेगा)

उपभोक्ता / स्वामी का नाम

279

पिता / पति का नाम

पता

परिसर की अवस्थिति

बोल्टता और प्रदाय की प्रणाली

(1) बोलता

(2) कलाओं (फेजों) की संख्या

(3) ए० सी / डी० सी

वायरिंग का प्रयोजन-

वायरिंग का प्रकार (वैटन, कन्फ़्रुट इत्यादि)

संस्थापन की विशिष्टियाँ :-

क्रमांक	आइटम	220/ 230 बोल्ट्स						400/ 440 बोल्ट्स	उच्च/अति उच्च बोल्टता संस्थापन		
		फेज 1		फेज 2		फेज 3					
		संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स				
1.	बत्तियों के प्वाइंट पंखों के प्वाइंट	२५६०	= १७५								
2.	प्लग प्वाइंट										
3.	मोटर/ जनरेटर										
4.	फ्रिज/कूलर										
5.	टीवी										
6.	ए०सी०										
	योग							१२०५५८९५	१२०५५८९५		

[[अन्य उपस्कर (पूरा ब्यौरा दिया जाये)

(1)

(2)

कुल संयोजित भार किलो वाट में - १२१६६

अधिकतम कर्टेट मांग एम्पियर में - १२१६६

(कुल संयोजित भार के आधार पर)

के.जी. एसोसिएट

मीराबस्ती शाहाबाद-हरदोई

KG ASSOCIATE

Causey &
Proprietor

ठेकेदार द्वारा विद्युतरोधी प्रतिरोधी के परीक्षण का परिणाम-

फैज़— 1 व अर्थ

फैज़— 1 व अर्थ

फैज़— 1 व अर्थ

(i) फैज़ एवं अर्थ के बीच—

(ii) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच—

फैज़— 1 व अर्थ

फैज़— 1 व अर्थ

फैज़— 1 व अर्थ

(iii) तारों के मध्य—

नियम 29—

- (1) बतायें कि वायरिंग का कार्य प्रथम सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार सहित के अनुसार है।
- (2) बतायें कि प्रत्येक रार्किट अलग अलग सिर्फों द्वारा नियंत्रित है।
- (3) बतायें कि समस्त रिप्च विद्युतमय बालकों पर लगाये गये हैं।

नियम 32—

बतायें कि दो तार प्रथाली का अर्थवाचर तथा बहुतार प्रथाली के भूराम्पकिंत न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का सूखक लगाया गया है जिससे कि ऐसे चालक को विद्युतमय (जीवन्त) चालक से सुभिन्न किया जा सके।

सत्यापन प्रमाण- पत्र

मे/ गौरव सूरी लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइसेंस संख्या HI-124

निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं—

- (अ) कि पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन टेरिट्रिंग का कार्य मेरे द्वारा किया गया है।
- (ब) पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युत रोधी प्रतिरोधी का परीक्षण मेरे/ हमारे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/ हमारे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।
- (ग) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम 1956 एवं भारतीय मानव संस्थान की व्यवहार सहित के नियमों के अनुरूप किया गया है।
- (द) उपरोक्त कार्य मेरे/ हमारे निम्नांकित रटाफ द्वारा किया गया है—

वायरमैन का नाम

पर्यवेक्षक का नाम

प्रमाण पत्र सं०

वैद्यता की तिथि

.....

.....

.....

हस्ताक्षर

वायरमैन द्वारा नाम

प्रमाण पत्र सं०

वैद्यता की तिथि

ठेकेदार द्वारा विद्युतरोधी प्रतिरोधी के परीक्षण का परिणाम—

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 1 व अर्थ

(i) फेज एवं अर्थ के बीच—

(ii) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच—

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 1 व अर्थ

फेज- 1 व अर्थ

(iii) तारों के मध्य—

नियम 29—

(1) बतायें कि वायरिंग का कार्य प्रशुत्ता सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के अनुसार है।

(2) बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग अलग रिक्वो द्वारा नियंत्रित है।

(3) बतायें कि समस्त स्थिति विद्युतमय यालकों पर लगाये गये हैं।

नियम 32—

बतायें कि दो तार प्रणाली का शर्धवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का रूचक लगाया गया है जिससे कि ऐसे चालक को विद्युतमय (जीवन्त) चालक से सुभिन्न किया जा सके।

सत्यापन प्रमाण- पत्र

मैं/ गौरव सूरी लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइरेंस रांगड़ा HI-124

गिम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं—

(अ) कि पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन टॉरिंग का कार्य मेरे द्वारा किया गया है।

(ब) पूर्वोक्त अंकित रांगड़ान का विद्युत रोधी प्रतिरोधी का परीक्षण मेरे/हमारे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/हमारे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।

(ग) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम, 1956 एवं भारतीय मानव संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।

(द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया है—

वायरमैन का नाम

पर्यवेक्षक का नाम

प्रमाण पत्र सं०

वैद्यता की तिथि

२०२०११-२०२१

१३.८.५

१३।८।२०२५
हस्ताक्षर

वायरमैन का नाम

प्रमाण पत्र सं०

वैद्यता की तिथि